स्पीड पोस्ट/ई-मेल द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

फाइल सं. 76/अनुदेश/ईईपीएस/2016/वाल्यूम.II दिनांक: 04 अप्रैल, 2016

सेवा में

सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ।

विषयः- किसी भी परिसर में नकदी या अन्य बहुमूल्य वस्तुओं आदि के भंडारण के संबंध मे शिकायतें मिलने पर उड़न दस्तों द्वारा की जाने वाली अनुवर्ती कार्रवाई के लिए मानक प्रचालन कार्यविधि।

महोदय/महोदया,

मुझे आयोग के पत्र सं. 76/अनुदेश/2015/ईईपीएस/वाल्यूम II दिनांक 29 मई 2015 का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि उसमें दिए गए अनुदेश निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नकदी एवं अन्य वस्तुओं की जब्ती एवं निर्मुक्ति के लिए उड़न दस्तों, स्थैतिक निगरानी दलों आदि की तैनाती के संदर्भ में एक व्यापक मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) दी गई है।

एसओपी में भारी मात्रा में ऐसी नकदी आदि के मूवमेंट के संबंध में शिकायतों के दृष्टांत कवर किए गए हैं जिनका मतदाताओं को रिश्वत देने आदि के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने का संदेह होता है। हालांकि, यह देखा गया है कि ऐसे किसी परिसर में नकदी के भारी मात्रा में भंडारण किए जाने से संबंधित शिकायतों के संदर्भ में शिकायत अनुवीक्षण प्रकोष्ठों और उड़न दस्तों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में सुस्पष्टता का अभाव है जिनका निर्वाचन के संबंध में गैर-कानूनी उपयोग किए जाने का संदेह है। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी शिकायतें या सूचना प्राप्त होने पर शिकायत अनुवीक्षण प्रकोष्ठ, डीईएमसी या व्यय प्रेक्षक द्वारा निम्नलिखित कार्यविधि का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा कि किसी परिसर में भारी मात्रा में ऐसी नकदी या अन्य बहुमूल्य वस्तुएं पड़ी हुई हैं जिनका मतदाताओं को रिश्वत देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

1. ऐसी कोई शिकायत मिलने पर शिकायत अनुवीक्षण प्रकोष्ठ उसके बारे में व्यय प्रेक्षक को तत्काल सूचित करेगा।
2. व्यय प्रेक्षक या नोडल अधिकारी, डीईएमसी आयकर दल के प्रभारी के साथ समन्वयन करेगा। यदि जरूरत हो तो आयकर (अन्वेषण) के नोडल अधिकारी को भी समुचित कार्रवाई करने के लिए सूचित किया जा सकता है।

3. उड़न दस्ते का एक दल तुरंत मौके पर भेजा जाएगा। यह दल परिसर से कुछ दूरी पर किंतु नजरों के सामने व्यक्तियों को तैनात करेगा ताकि आयकर विभाग से दल के आने तक या विचारशील पूर्वक पूछताछ किए जाने से इस बात का निर्णायक रूप से अनुमान लगाए जाने तक कि सूचना सही नहीं है, परिसर की निरंतर निगरानी की जा सके। यदि जरूरत हो तो वीडियोग्राफी भी की जा सकती है।

4. न तो व्यय प्रेक्षक और न ही उड़न दस्ते का कोई भी सदस्य आयकर दल के आगमन से पहले परिसर में प्रवेश करेगा।

5. तलाशी और जब्ती के संबंध में कोई भी कार्रवाई आयकर विभाग द्वारा आयकर अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। हालांकि, उड़न दस्ता दल के सदस्य या व्यय प्रेक्षक उस परिस्थिति में परिसर में प्रवेश कर सकते हैं जब आयकर दल द्वारा उनकी सेवाओं जो प्राधिकार आदि सहित सख्त रूप में आयकर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार होनी चाहिए, की आवश्यकता हो।

6. जिला निर्वाचन अधिकारी/पुलिस अधीक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वे आयकर दल तलाशी कार्य के निष्पादन में आवश्यक सहायता प्रदान करें।

7. उड़न दस्ता दल (दलों) को तलाशी की अवधि के दौरान परिसर में प्रवेश करने वाले या परिसर से बाहर जाने वाले व्यक्तियों के अवरोधन और जांच के लिए समीप उपस्थित रहना चाहिए। ऐसे वाहनों में/ ऐसे व्यक्तियों के पास पाई गई नकदी या बहुमूल्य वस्तुएं उड़न दस्ते द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जब्त की जा सकती हैं।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि व्यय प्रेक्षक या उड़न दस्ता अपने आप परिसर में कोई तलाशी नही लेंगे।

9. अनुदेशों के सार-संग्रह के पैरा 4.2.8 में निहित अनुदेश का व्यय प्रेक्षक द्वारा कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। वे प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वयन करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सभी एजेंसियों के मध्य सूचना का मुक्त प्रवाह एवं आदान-प्रदान हो। किसी भी एजेंसी से सूचना प्राप्त होने पर संबंधित विधि प्रवर्तन एजेंसी द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई की जानी है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया इसे आयकर विभाग, पुलिस विभाग और सभी निर्वाचन प्राधिकारियों के ध्यान में अनुपालनार्थ लाया जाए।

कृपया इस पत्र की पावती दें।

भवदीय,

ह./-

(सत्येन्द्र कुमार रूडोला)

प्रधान सचिव

स्पीड पोस्ट/ई-मेल द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/अनुदेश/ईईपीएस/2015/खण्ड. V दिनांक: 20 जनवरी, 2016

सेवा में

सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ।

विषयः- गैर-अनुसूचित ऑपरेटर परमिट धारकों (एनएसओपी) की सूची-तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

नागर विमानन महानिदेशक, नई दिल्ली से प्राप्त दिनांक 05.01.2016 का पत्र सं. एवी.14015/जन./2008-एटी-I जिसके साथ गैर-अनुसूचित ऑपरेटर परमिट धारकों के लिए सेवा प्रदाताओं की सूची अग्रेषित की गई है, एतद्द्वारा संलग्न है। नागर विमानन महानिदेशालय के कार्यालय ने सूचित किया है कि एनएसओपी धारक (सेवा प्रदाता) प्रभार निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं और ऐसे प्रभारों को डीजीसीए के कार्यालय द्वारा विनियमित नहीं किया जा रहा है।

मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि इस बात पर बल देते हुए इसे सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और अन्य निर्वाचन प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाए, कि जब कभी भी आवश्यक हो, हैलीकाप्टरों/वायुयानों इत्यादि के भाड़ा प्रभारों संबंधी सूचना वे प्रत्यक्षतः गैर-अनुसूचित ऑपरेटर परमिट धारको से प्राप्त करें।

भवदीय,

ह./-
(अविनाश कुमार)
सचिव

संलग्नकः उपरोक्त (33 पृष्ठ)

श्री वेद प्रकाश, प्रचालन निदेशक (वायु परिवहन), नागर विमानन महानिदेशक का कार्यालय, तकनीकी केन्द्र, सफदरजंग एयरपोर्ट के सामने, नई दिल्ली, (विशेष संवाहक द्वारा) को इस अनुरोध सहित प्रतिलिपि प्रेषित कि वे वांछित सूचना उपलब्ध करवाएं और डीजीसीए की वेबसाइट पर अद्यतित सूची रखें ताकि निर्वाचन प्राधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नवीनतम सूचना प्राप्त कर सकें।

(अविनाश कुमार)
सचिव